

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 76 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 76 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 76 : एक बार से अधिक उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा

जावक प्रदायों के ब्यौरों में उत्पादन कर दायित्व में कटौती के लिए दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।"